न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-9 वाराणसी

सरकार----------बनाम-------मौ० अव्वल वगै०

मु.अ.सं.-65/2026
धारा-अन्तर्गत धारा-298, 299, 196(1) (b), 279,223(b),308(5) बी.एन.एस. व 67 IT ACT
थाना- कोतवाली, वाराणसी।

दिनांक-23.03.2026

आज अभियुक्तगण अजाद अली, आमिर कैफी, दानिश सैफी, मो० अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम, मो० अनस, मो० अव्वल, मो० तहसीम, मो० अहमद उर्फ राजा, मो० नूर इस्माइल, मो० तौसीफ अहमद, मो० फैजान व मो० समीर के विरुद्ध मु.अ.सं.-65/2026 अंतर्गत धारा- 298, 299, 196(1) (b), 279, 223(b), 308(5) बी.एन.एस. व 67 IT ACT थाना-कोतवाली, वाराणसी में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण दिनांक 19.03.2026 से जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगणगण/अभियुक्तगण को महज जेरवार परेशान करने की गरज से रंजिशन साजिश के तहत फंसा दिया गया है। अभियुक्त निर्दोष है एवं कानून का सम्मान करने वाले नागरिक है। अभियुक्तगण को थाना कोतवाली जनपद वाराणसी की पुलिस द्वारा उपरोक्त अपराध मे अनावश्यक रूप से जिला कारागार वाराणसी से तलब कराकर जेल में निरुद्ध करने की मंशा से रिमाण्ड बनाकर रखना चाहती है जो पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत होगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 19.03.2026 से जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मटन/चिकन की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी वीडियो में भी मटन/चिकन की कोई फोटो नहीं है तथा दोनों मल्लाह भी वीडियो में नहीं है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जिसमें दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि विवेचना अभी प्रचलित है। अतः अभियुक्तगण की ओर से उठाये गये बिन्दुओं का निर्धारण विवेचना द्वारा ही किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगणों के समर्थकों द्वारा उसे जान से मारने की लगातार धमकी दिये जाने के आरोप के प्रार्थनापत्र के आधार पर एक अन्य मुकदमा अपराध संख्या-108/2026 अन्तर्गत धारा-352, 351(4) बी.एन.एस. थाना सिगरा वाराणसी में दर्ज किया गया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.2026 को वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। तदोपरान्त केस डायरी संख्या-4 दिनांकित 18.03.2026 में बयान नाव संचालक अनिल साहनी व बयान सहसंचालक रंजन साहनी उर्फ अनुकुल के आधार पर धारा-308(5) बी.एन.एस की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति व

अजमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण अजाद अली, आमिर कैकी, दानिश सैफी, मो० अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम, मो० अनस, मो० अव्वल, मो० तहसीम, मो० अहमद उर्फ राजा, मो० नूर इस्माइल, मो० तौसीफ अहमद, मो० फैजान व मो० समीर के विरूद्ध मु.अ.सं.-65/2026 अंतर्गत धारा- अन्तर्गत धारा-298, 299, 196(1) (b), 279, 223(b), 308(5) बी.एन.एस. व 67 IT ACT बी.एन.एस थाना-कोतवाली, वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।